

सड़कें अब बुद्धिमान: भारत की स्मार्ट सुरक्षा का नया युग

[टकराव नहीं, तालमेल: वी२वी तकनीक के साथ सुरक्षित ड्राइविंग]
[गति, दिशा और सुरक्षा की संवाद कला: भारत की नई सड़क क्रांति]

भारत की सड़कें आज भी जीवन और सूरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो रही हैं। हर साल लाखों लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और अनगिनत परिवार टूट जाते हैं। वर्ष 2024 में देशभर में लगभग 1.77 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका अर्थ है कि हर दिन औसतन 485 से अधिक लोग अपने घरों से कभी नहीं निकटकर नहीं आते। तेज गति, लापरवाही, हेलमेट न पहनना और यातायात नियमों की अवहेलना प्रमुख कारण हैं। युवा वर्ग (18-34 वर्ष) सबसे अधिक प्रभावित है, जो देश की आर्थिक और सामाजिक शक्ति का अहम हिस्सा है। इन भगवान आंकड़ों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह सड़क सूरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गृह मंत्रालय को ध्यान में रखते हुए (वी2वी) सड़क पूरे स्तर में डीकलक-टू-डीकलक (वी2वी) संचार तकनीक लागू करी की ऐतिहासिक घोषणा की। यह तकनीक वाहनों को सीधे संवाद करने में सक्षम बनाएगी, बिना किसी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की। वी2वी तकनीक, दिशा, ब्रेकिंग और चरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेगी। यदि कोई वाहन अचानक रुकता है, ब्लाइंड स्पॉट में प्रवेश करता है या किसी खतरे का सामना करता है, तो आपसक के सभी वाहन तुमने चेतावनी पाएंगे। इस प्रकार, दुर्घटनाओं को पहले ही रोकना जा सकेगा और लाखों जीवन सुरक्षित रहेंगे। वी2वी संचार प्रणाली पूर्णतः अत्याधुनिक वायरलेस तकनीक पर आधारित है। प्रत्येक वाहन में एक ऑन-बोर्ड यूनिट (ओबीयू) स्थापित की जाएगी, जो 5.875



से 5.905 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में उपलब्ध 30 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी। यह विशिष्ट स्पेक्ट्रम दूरसंचार विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटित किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से वाहन रीलेव-इंडम में एक-दूसरे के साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे, जिससे प्रतिक्रिया समय अत्यंत कम हो जाएगा। कई परिस्थितियों में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णायक अंतर साबित होते हैं। विशेषज्ञों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह तकनीक दुर्घटनाओं की संभावनाओं को लगभग 80 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम है, विशेष रूप से कोहरे, अत्यधिक यातायात और रिस-एंड-टक्कर जैसी जोखिमपूर्ण स्थितियों में। सरकार ने इसे 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। पहले चरण में यह केवल नए वाहनों में अनिवार्य होगा।

उसके बाद मौजूदा वाहन में रेट्रोफिटिंग की जाएगी। अनुमानित परियोजना लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपये है। प्रति वाहन उपकरण की लागत 5,000-7,000 रुपये के आसपास होने का अनुमान है। राज्य परिवहन मंत्रियों की वार्षिक बैठक में इस योजना पर व्यापक चर्चा हुई। दूरसंचार विभाग के साथ संयुक्त कार्यक्रम गठित किया गया है। 20वीं प्रगतिशील एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) के साथ पूरी तरह

एकीकृत होगी। प्रीमियम वाहनों में पहले से मौजूद सेंसर-आधारित फीचर्स को भी नए मानकों से जोड़ा जाएगा। दुर्घटना पीड़ितों के लिए कालेसले इलाज योजना (एचएसएल) रुपये तक, 7 दिनों के लिए) को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। वी2वी तकनीक को लाभ अत्यधिक व्यापक और दृढ़गामी हैं। कोहरे में बहु-वाहन टक्कर, रियर-एंड-कोलिजन और स्थिर वाहनों से टक्कर अब बड़ी संख्या में गैर जा सकेंगे। यातायात का प्रवाह सुचारु होगा, जो एक ही बचत होगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। भारत जैसे विविध भूगोल वाले देश में—जहां पहाड़ी रास्ते, घुमावदार सड़कें, घना ट्रैफिक और मौसमी चुनौतियां आम हैं—यह ब्राह्मण विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। ड्राइवर्स को अनिवार्य प्रतिक्रिया समय मिलने से दुर्घटनाओं की गंभीरता कम होगी और जीवन रक्षा संभव होगी। कुल मिलाकर, यह तकनीक सुस्थित, स्मार्ट और कुशल परिवहन प्रणाली की नींव रखेगी और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। हालाँकि, इस योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियां भी हैं। प्रारंभिक लागत, पुराने वाहनों में उपकरण इंस्टॉलेशन, डेटा गोपनीयता की चिंता, साइबर खतरों को जोखिम और सभी वाहनों में समान मानकीकरण प्रमुख बाधाएं हैं। सरकार आर्टेमोबाइल ड्योन, विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर इन समस्याओं का

सामाधान कर रही है। सफल परीक्षण और समयबद्ध क्रिया-विन्यास से इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पार किया जा सकता है। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान, प्रशिक्षित ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम और सख्त नियमावली लागू करना आवश्यक होगा, ताकि रोलआउट सुचारु और सुरक्षित रूप से संभव हो सके। इस तकनीक से न केवल दुर्घटनाओं को रोकना संभव है, बल्कि अनिर्णित परिवारों को दुख, पीड़ा और तबाही से भी बचाया जाएगा। यह देश को अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दूरदर्शिता और सरकार को सक्रियता अत्यंत सराहनीय है। अब समय आ गया है कि हम सभी इस तकनीक को अपनाने और सुरक्षित यात्रा को अपनी आदत में बदलें। सुरक्षित भारत के विकासित, समृद्ध और सुरक्षित भाग की असली नींव है।

वी२वी तकनीक केवल एक योजना नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन की सुरक्षा, सशान और सुस्थित भविष्य का दृढ़ संकल्प है। हमें इस २०२६ तक वी२वी तकनीक के राँलआउट से स्मार्ट, सुस्थित और कुशल परिवहन की एक नई क्राँति की ओर कदम बढ़ाएँ। यह प्रणाली न केवल देश की सकल सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगी, बल्कि वैश्विक स्मार्ट मोबिलिटी मानकों में भारत को नौतल दिलाकर उसे अग्रणी बनाएगी। जीवन की रक्षा, आर्थिक बचत और पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ यह तकनीक हर भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षा और भरोसे का वास्तविक वादा है। वर्तमान समय की चुनौती और आवश्यकता यही है कि हम इसे अपनाएँ, ताकि सुस्थित सफेक सुनिश्चित हों और हर व्यक्ति का जीवन संरक्षित रह सके।

प्रो. आरके जैन

देश स्वामोक्ष क्यों ?

आरोंपो में बंद हैं। इसके बावजूद न कोई वैश्विक मानवाधिकार संगठन निर्णायक कदम उठता है और न ही मुस्लिम नेतृत्व खुलकर विरोध करता है। विडंबना यह है कि चीन की दमनकारी नीतियों को वहां की बहुसंख्यक जनता का समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि वहां कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध कोई व्यापक आंदोलन नहीं दिखाई देता। चीन आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कठोर नियंत्रण के कारण आतंकी संगठनों को पनपने का अवसर नहीं मिला, जबकि अमेरिका जैसे देश आतंकवाद से अछूते नहीं रहे।

चीन में धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के विरुद्ध हैं, लेकिन वैश्विक शक्तियों और धार्मिक ठेकेदारों की चुप्पी यह दर्शाती है कि महाशक्ति बनने के बाद नैतिकता और मानवता की कूटनीति के सामने गैण हो जाती है।

अरविंद रावल

नानू के टकराव की कहानी

हो, उसे कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री स्वयं तलाशी स्थलों पर पहुँचकर जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं, तो यह उद्देश्य आम नागरिकों के लिए बुरा संकेत देता है। यह स्थिति उस सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि कानून सबके लिए समान है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला केवल बंगाल बनाम इंडी का नहीं है, बल्कि यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की संसदीय भी है। अदालत को यह तय करना होगा कि जांच एजेंसियों को किस हद तक स्वतंत्रता दी जाए और राज्यों के अधिकारों की सीमा कहाँ तक है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि किसी निर्वाचित सरकार का कर्तव्य क्या है सहयोग करना है, न कि उसे प्रभावित करना। ममता बनर्जी स्वयं कह चुकी हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की जांच पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि इस कथन को गंभीरता से लिया जाए, तो यह अपेक्षा भी बनती है कि व्यवहार में भी वही सिद्धांत अपनाया जाए। 2026 के चुनावों की छछा में यह विवाद और भी राजनीतिक से ले कराना है, लेकिन और भी फैसला कानून और संविधान के आधार पर ही होना चाहिए। यदि राजनीति कानून पर हावी हो गई, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि चाहे इंडी हो या राज सरकार, दोनों संविधान की मर्यादा में रहकर काम करें। वही इस पूरे विवाद से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक है।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

एक समाज, जो बेटियों को सुरक्षित नहीं, नियंत्रित करता है

सुरक्षा का तर्क, समाज की चुप्पी
और बेटीयों का संघर्ष
जब सुरक्षा का अर्थ बेटी की
स्वतंत्रता पर पहरा बन जाए

'सुरक्षा' एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनते ही हम मन में धरोरे और संरक्षण की छवि उभरती है। माता जहाँ बड़ें बड़ें माता-पिता की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है और यही समाज की सबसे बड़ी दलील भी। लेकिन जब यह शब्द बेटी की आजादी छीनने का माध्यम बन जाए, तब इसका अर्थ बदल जाता है। तब सुरक्षा एक ऐसे ताता बन जाती है, जो बेटी के सपनों, इच्छाओं और आत्मसम्मान पर जड़ दिखता है। यह ताला दिखाई नहीं देता, पर इसका बोलें हर सांस के साथ महसूस होता है। बेटी को बताया जाता है कि वह सब उसके भले के लिए है, जबकि असल में यह उसके अस्तित्व पर नियंत्रण की प्रक्रिया होती है। भारतीय समाज में बेटी को आज भी एक स्वतंत्र व्यक्ति की बजाय परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। उसकी चाल, पहनावा, दोस्ती और निर्णय-यत्न पर निगरानी रखी जाती है। जैसे ही बेटी अपने जीवन के फैसले खुद लेने की बात करती है, 'सुरक्षा' का तर्क सामने खड़ा कर दिया जाता है। प्रेम, विवाह, शिक्षा या करियर-हर क्षेत्र में उसकी आजादी सीमित कर दी जाती है। यह सीमाएँ परिवार द्वारा खींची जाती हैं और समाज द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। यही स्वीकृति समाज का और गहरा चोट है। इस तथ्याकथित सुरक्षा का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसे प्रेम का रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है। माता-पिता कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, इसलिए बेटी को घर में रखना बेजुबानी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया केवल बेटी के लिए ही खराब है? बेटी को भी उसी दुनिया में रहते हैं, वही रास्ते तय करते हैं, वही जोशियम उठते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बेटी को कमजोर और असहाय मान लिया जाता है, और यही मान्यता उसकी आजादी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यह कैद केवल दरवाजे बंद करने तक सीमित नहीं होता। यह सोच, भावनाओं और निर्णयों पर भी पहरा बिछ देती है। बेटी से बाब-बार कहा जाता है कि वह समझदारी से, समाज की बात माने, परिवार की इज्जत रक्षें। धीरे-धीरे वह अपने मन की बात कहना छोड़ देती है। सवाल पूछना, विरोध करना या अपनी राय रखना उसे अपराध जैसा लगने लगता है। यह मानसिक और शारीरिक कैद से काफी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें सदाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन करारें पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह

समस्या परंपरा और जाति की कठोर दीवारों से और भी मजबूत हो जाती है। प्रेम विवाह का अंतरजातीय संबंधों के मामलों में बेटीयों को घर में बंद कर देना, मोबाइल छीन लेना या बाहर निकलने से रोक देना वहाँ सामान्य व्यवहार माना जाता है। कई बार यह कैद महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक चलती है। शहरों में इसका रूप थोड़ा बदला हुआ दिखता है, लेकिन सार वही है। यहाँ नरेंद्र को 'आधुनिक सुशुभा' के नाम पर बिंटी को 'आधुनिक निगानी' में रखा जाता है—लोकेशन ट्रेकिंग, समय की सख्त पाबंदी और हर निर्णय पर सवाल। फर्क सिर्फ दिखावे का है, सोच वही पुरानी है। कानून इस पूरी व्यवस्था के विपरीत खड़ा है। भारतीय संविधान हर महिला को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बालिंग बेटी को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का पूरा हक है। इसके बावजूद, जब मामला परिवार का बतकार पेश किया जाता है, तो कानून कई बार मौत हो जाता है। पुलिस और प्रशासन अक्सर माता-पिता की बात को ही अंतिम मान लेते हैं, जबकि बेटी को सहमति और इच्छा को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। यहाँ कानून और समाज के बीच का टकराव स्पष्ट दिखाई देता है, और दुर्भाग्य से अक्सर समाज हावी हो जाता है। इस कैद का मानवैज्ञानिक प्रभाव बेहद गहरा और दीर्घकालिक होता है। आत्मविश्वास टूटता है, आत्मसम्मान कमजोर पड़ता है और बेटीयों को लेकर डर पैदा होता है। कई विधायी अवसाद, चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं। पढ़ाई और करियर पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा अपने अधिकारों की रक्षा में ही समाप्त हो जाती है। परिवार इसे अस्थायी कदम मानता है, लेकिन बेटी के लिए यह अनुभव जीवन की दिशा बदल देता है। समाज की दोहरी मानसिकता इस समस्या को और अधिक जटिल बना देती है। एक ओर बेटीयों को देवी कहकर पूजने की परंपरा है, तो दूसरी ओर उन पर भारीकरण से शहरा संकोच भी है। फिल्मों, धारावाहिकों और लोककथाओं में आज भी 'आदर्श बेटी' वही दिखाई जाती है, जो चुप रहे, सहन करे और कभी सवाल न उठाए। यही सांस्कृतिक सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराती है, जिससे निरंतर निर्यात को नैतिकता और दमन को संस्कार का सम्मानजनक नाम मिल जाता है। इस अंधेरे के बीच बदलाव की कुछ स्पष्ट किरणें भी दिखाई देती हैं। शिक्षा, सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों ने बेटीयों को अपनी बात रखने का साहस दिया है। अनेक संगठन और मंच ऐसे हैं, जो कानूनी सहायता के



शिक्षण-साथ मानसिक संबल भी प्रदान कर रहे हैं। फिर भी यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। जगत तब समाज की सामूहिक सोच नहीं बदलेगी। तब तक 'सुरक्षा' का यह पिंजरा नए-नए रूपों में बना ही रहेगा। शिक्षा इस समस्या की जड़ पर सीधा प्रहार करती है। शिक्षित बेटी केवल अपने अधिकार पहचानती है, बल्कि उन्हें हासिल कर का आत्मबल भी जुटाती है। उतना ही जरूरी है माता-पिता और समाज की मानसिक शिक्षा। जब यह समझ विकसित होगी कि सुरक्षा का अर्थ संदेह या नियंत्रण नहीं, बल्कि विकास, संवाद और समर्पण है, तब बेटियों को कैद करती की प्रवृत्ति स्वतः समाप्त होने लगेगी। स्कूलों और परिवारों में समानता और सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता भी इस संघर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार है। आत्मनिर्भर बेटी न केवल अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी जुटा पाती है। रोजगार व्यवसायिक मानसिक और आप बढने के अवसर उसे मानसिक व सामाजिक मजबूती देते हैं। जब बेटी आर्थिक रूप से सुरक्षित होती है, तब 'सुरक्षा' के नाम पर लगए गए ताले अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं और नियंत्रण की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। 'सुरक्षा' के नाम पर बेटी को जेल में रहने का भाग पाकिवाक्य विषय नहीं, बल्कि एक गहन और गंभीर सामाजिक अन्याय है। यह पितृसत्तात्मक सोच की वही कठोर दीवार है जिसे तोड़ने बिना समानता और न्याय की कल्पना अधूरी रहती है। सच्ची सुरक्षा बंधन दवाजों में नहीं, बल्कि खुले अवसरों और विश्वास में निहित है। बेटी को उड़ने के अधिकार दिया जाए, उस पर भरोसा किया जाए और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। तभी समाज वास्तव में सुरक्षित संवेदनशील और प्रगतिशील कहलाने के योग्य बन सकेगा।

कृति आरके जैन

वैश्विक युद्ध की प्रेत-छाया में व्यापारिक द्वंद का दौरा

ताकतवर देशों की आर्थिक सिरमौर बनने की चाहत

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य व्यापारिक प्रसंगता और विश्व की अर्थव्यवस्था में सिरमौर बनने के प्रयासों की ओर बढ़ रहा है। इस समय विश्व व्यवस्था की परिघटना में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है जहाँ शांतिपूर्ण सहयोग और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, युद्ध की परंपरागत विधि की अपेक्षा पहले से कहीं अधिक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। आज 21^{वीं} सदी में पारंपरिक 'भौतिक युद्ध' के स्थान पर देश व्यापार युद्ध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और नीतिगत टकराव के माध्यम से अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने में लगे हैं। यह स्पष्ट है कि अब विश्व युद्ध नहीं, बल्कि व्यापार युद्ध होने की संभावना अधिक है, क्योंकि दुनिया के आर्थिकांश प्रमुख देशों ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आज विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति संतुलन का निर्धारण केवल सैन्य बल से नहीं होता बल्कि आर्थिक ताकत, वैश्विक व्यापार नीति, निवेश सहयोग प्रदान तकनीकी नेटवर्क से होता है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे प्रमुख देश अब सीधे युद्ध की बजाय आर्थिक रणनीतियों, शुल्क, व्यापार समझौतों, बाजारों तक पहुंच और पूंजी अकार्षण की लड़ाई में लगे हैं। आज अमेरिका ने 2025 में भारत सहित लगभग 68 देशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आयात शुल्क (टैरिफ) लगाए, जिनका उद्देश्य अपने व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है, जबकि इसी कदम ने वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ाया है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से चले आ रहे व्यापार तनाव ने व्यापार युद्ध की अवधारणा को मजबूती दी है, जहाँ दोनों देश अन्व-दूसरे के उत्पादों पर शुल्क बढ़ा रहे हैं। इससे वैश्विक व्यापार नेटवर्क प्रभावित हो रहे हैं और कई उद्योगों में अस्थिरता आ रही है। अमेरिका-चीन के बीच यह टकराव केवल शुल्कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी नियंत्रण, निवेश प्रतिबंध और आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन जैसे मुद्दों पर भी उपर रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रवाहशीलता पर असर पड़ा है। इस प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में प्रत्येक देश अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए

परिणत परिवर्तन कर रहा है। भारत ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में निर्यात में लगभग 15.52% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे इसके व्यापार घाट में भी उल्लेखनीय कमी आई है। भारत के निर्यात में मर्चेडाइज और सेवा दोनों का योगदान रहा है और यह वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूती देने है। अमेरिका, जो समग्र-समय पर 'अमेरिका फर्स्ट' जैसी नीति अपनाता रहा है, वह अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हुए टैरिफ लागू करता है, जिससे उसके व्यापारिक साझेदारों का आर्थिक संतुलन में बदलाव का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के इस कदम से न केवल चीन, बल्कि भारत और यूरोपीय देशों के साथ भी तनाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका का लक्ष्य लंबे समय से अपने व्यापार घाट को कम करना रहा है, जो लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रहा है, और इसी वजह से टैरिफ नीति का सहारा लिया जा रहा है। चीन की स्थिति भी दिलचस्प है, जो अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ अमेरिकी वैश्विक पहुंच और तकनीकी क्षमता का विस्तार कर रहा है। चीन बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) के जरिए कई देशों को अपनी आर्थिक परिधि में लाने का प्रयास कर रहा है, जबकि अमेरिका उसे गैरनैतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहा है। भारत ने हमेशा आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह गुटनिरपेक्ष राजनीति और शांति की दिशा में विचार रखता है। भारत का रुख परिवर्तित सैन्य आक्रामकता से अलग है; वह व्यापार, निवेश, आर्थिक सुधार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से विश्व में शांति एवं विकास का संदेश देना चाहता है। भारत जैसे अग्रजत बाजार देश ने व्यापार समुच्चय पर जोर दिया है और उसने अनेक मुक्त व्यापार व साझेदारी समझौते किए हैं, जिनसे उसके निर्यात को बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिली है और वैश्विक भागीदारों के साथ उसके संबंध मजबूत हुए हैं। दूसरी तरफ, परिचय एशियाई खाड़ी देश, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब एमीरात आदि, मुख्य रूप से तेल और ऊर्जा व्यापार में व्यस्त हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कच्चे तेल पर निर्भर हैं और तेल की कीमतों तथा वैश्विक ऊर्जा मांग पर उनकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक टिकी हुई है। वे अपने

संसाधनों का उपयोग वैश्विक निवेश और ऊर्जा सुरक्षा पर दबदबा बनाए रखने के लिए करने रहे हैं। इस क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक विविधीकरण की चुनौतियों के बीच इन देशों की नजर वैश्विक आर्थिक संतुलन और निवेश आकर्षण पर टिके हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे विकसित देश भी तथा और रणनीतिक सहयोग से अधिक आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में प्रभाव के लिए प्रयासरत हैं। यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार नीतियों, तकनीकी मानकों और आब्रजन नीतियों के माध्यम से वे अपने बाजार को संरक्षित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होने का काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ईरान प्राकृतिक संसाधनों और खुले व्यापार मॉडल के कारण, वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति के बीच यह नया संबंध दर्शाता है कि आज दुनिया की लड़ाई 'कोन बड़ा सैनिक है' की नहीं बल्कि 'कोन बड़ा व्यापार और निवेशक' की हो गई है। इस प्रतिस्पर्धा का प्रभाव रोजगार, मुद्रास्फीति, निवेश प्रवाह और वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर भी देखने को मिलता है। शोध बताते हैं कि आयात शुल्क और व्यापार संघर्षों से वैश्विक रोजगार में करोड़ों नौकरियों के नुकसान का खतरा भी होता है, विशेषकर निम्न-कुशल श्रमिकों पर यह प्रभाव और अधिक गहरा होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब सामरिक युद्धों की अपेक्षा अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति, तकनीकी नेटवर्क और निवेश रणनीति में प्रवेश कर चुकी है। ऐसी स्थिति में युद्ध की विधि सैन्य टकराव से बढ़कर आर्थिक प्रभाव, व्यापार प्रोत्साहन, वैश्विक साझेदारी और स्थिरता की दिशा में केंद्रित हो रही है। तथा इसमें भारत जैसे गुटनिष्ठ देश की भूमिका विशुद्ध रूप से शांति, आर्थिक समृद्धि और सहयोग की दिशा में अग्रसर होती दिखाई देती है। इस समग्र परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट है कि 21वीं सदी में 'व्यापार युद्ध' ही मुख्य संकट का मैदान है, जहाँ शक्ति का निर्धारण केवल बंदूक या टैंक से नहीं बल्कि सौदा, नीति, नवाचार, और वैश्विक सहयोग से होता है।

संजीव ठाकूर

स्वामी – स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाह दहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमि समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बन्धित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N/NO. UPHIN/2012/43078 मो० नं०-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

द्वारा चिकित्सा करने के लिए अधिकृत हैं
 अमौली से आये हुए ईश्वर डॉ देवानन्द सागर
 ने कहा कि हम गांव-गांव में जाकर निशुल्क
 चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे व लोमों
 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा द्वारा रोग
 मुक्त करने हैं तथा जागरूकता पैदा करते हैं
 सामाजिक में डॉ मानसी, डॉ सुनीता सागर,
 वरिष्ठ कानूनी सलाहकार अंकुर निगम,
 एडवोकेट, डॉ अरुण त्रिपाठी, डॉ भूपेंद्र, डॉ
 पुन्या लाल साहू, डॉ नंदम कुरेशी, डॉ दुर्गा
 डॉ स्वाती खेर, डॉ रंजना, डॉ रजनीश खेर
 डॉ चन्द्रभूषण, डॉ नम्रता, अंश निगम, डॉ
 कंचन त्रिपाठी उपस्थित रहे।